मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

# मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

स्कूलों की दुर्दशा को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष 2
पृथक हरियाणा गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने उचित ठहराया 4
भगतसिंह की गौरवशाली क्रांतिकारी विरासत का अपमान नहीं सहेंगे 5
नेताजी जी से संबंधित तथ्यों से छेड़छाड 6
भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा में गबन की आरोपी मुनीष कुर्सी पर कायम है 8

वर्ष 36 | अंक 46 | फरीदाबाद | 25 सितम्बर-1 अक्टूबर 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

## हृदय रोग, डायलिसिस के बाद अब आईसीयू भी मुनाफाखोरों के हवाले

# बीके अस्पताल चलायेंगे चिकित्सा व्यापारी

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** शहर की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिये हरियाणा सरकार ने बीके अस्पताल में गरीबों के लिये पहले हृदय रोग का इलाज व डायलेसिस की सुविधा शुरू तो की लेकिन ये सुविधायें न तो सस्ती हैं और न ही भरोसेमंद। अब आईसीयू शुरू करने की बात की जा रही ह ।

दरअसल राज्य सरकार को इन सब सेवाओं के लिये कुछ नहीं करना होता। सरकार तो जनता के लिये बने-बनाये इस अस्पताल के वार्डों को पीपीपी प्रणाली के तहत ठेके पर देकर आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाती है। पीपीपी का मतलब होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कि अस्पताल जैसी जायदाद तो है पब्लिक की और उसमें पार्टनर हो जायेगा कोई चिकित्सा व्यापारी। जो चिकित्सा व्यापारी एसियन, मैट्रो, अथवा एस्कॉर्ट-फोर्टिस जैसे बड़ी पूंजी वाले धन्धे शुरू नहीं कर सकते वे बीके जैसे अस्पतालों को किराये पर लेकर पीपीपी के नाम पर अपना धन्धा शुरू करते हैं। सरकार इनके लिये रेट चाहे जो मर्जी तय कर दे लेकिन ये लोग दांये-बांये से घुमा-फिराकर मरीजों को अच्छे से काट लेते हैं। काटें भी क्यों नहीं, जब सरकार अपने हिस्से की पेमेंट आठ-आठ दस-दस महीने तक अदा न करे तो ये लोग मरीजों से ही तो वसूलेंगे।

एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुख्यालय में बैठे कुछ मूर्ख अफसरों ने भी आईसीयू तथा डायलेसिस को इसी तरह पीपीपी मोड़ में चलवाया था। कोई भी चिकित्सा व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने के लिये इलाज प्रक्रिया के मानकों से समझौता करेगा ही करेगा। ऐसे में कम से कम स्टाफ व सस्ते से सस्ता सामान इस्तेमाल करेगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की कड़ी निगरानी के चलते ठेकेदार वह सब कुछ नहीं कर सकता था जो वह करना चाहता था। परिणामस्वरूप दोनों ठेकेदार हाथ खड़े कर गये। लेकिन बीके अस्पताल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर ठेकेदार को खुला खेलने की पूरी छुट रहेगी। इसी छुट के चलते हृदय रोग व डायलेसिस के अनेकों मरीज यहां पर रोते-बिलखते देखे जा सकते हैं।

गतांक में **'मज़दूर मोर्चा'** ने प्रकाशित किया था कि किस प्रकार से दलालों का जाल बिछा हुआ है। अस्पताल में आने वाले लगभग हर मरीज को यहां से रेफर करने का धंधा किया जाता है। साधारण से साधारण केस भी यहां दाखिल करने की बजाय दलालों के माध्यम से विभिन्न निजी अस्पतालों को भेज दिये जाते हैं। वैसे भी 200 बेड के इस अस्पताल में से जब कुछ वार्ड उक्त चिकित्सा व्यापारियों को किराये पर दे दिये जायेंगे तो अस्पताल की अपनी बेड संख्या का घटना तो स्वाभाविक ही है। आम मरीजों के लिये रक्त जांच, अल्ट्रासाऊंड व एक्सरे जैसी मामूली सुविधायें तक तो यहां उपलब्ध है नहीं और बाते करते हैं सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की।

## 'मज़दूरों के लिये 200 अस्पताल खुलेंगे', खट्टर का एक और सफेद झूठ

**चंडीगढ़ मज़दूर मोर्चा ब्यूरो**

इसी सप्ताह हुई हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद गोदी मीडिया द्वारा खबर उछलवाइ गई कि सरकार असंगठित मज़दूरों के लिये 200 अस्पताल खोलेगी। यह घोषणा अपने आप में इतना बड़ा झूठ है जितना कि कोई कहे सूरज-पश्चिम से निकलता है और पूरब में छिपता है। ये 200 नये अस्पताल खोलने की बात कर रहे हैं, अरे पहले से ही खुले-खोलाये अस्पताल तो चला लो। इनमें न तो स्टाफ़ है और न ही दवाईयां और साजो सामान।

असंगठित मज़दूरों की बात करने वाले इन नेताओं से कोई पूछे कि संगठित मज़दूरों, जिनसे ईएसआई कार्पोरेशन, उनके वेतन का साढे चार प्रतिशत वसूलती है, उनको आपने क्या दे रखा है? विदित है कि ईएसआई कार्पोरेशन के कोष में डेढ़ लाख करोड़ रुपये का ढेर लगा पड़ा है। इसके बावजूद राज्य भर में न तो पर्याप्त अस्पताल व डिस्पेंसरियां हैं और न ही उनमें आवश्यक स्टाफ़, दवाईयां व उपकरण आदि हैं।

समझा जा रहा है कि असंगठित मज़दूरों के नाम पर बिल्डरों से वसूला गया फंड 1000 करोड़ के आस-पास तक पहुंच गया है। अब सरकार की नजर इस फंड पर है।

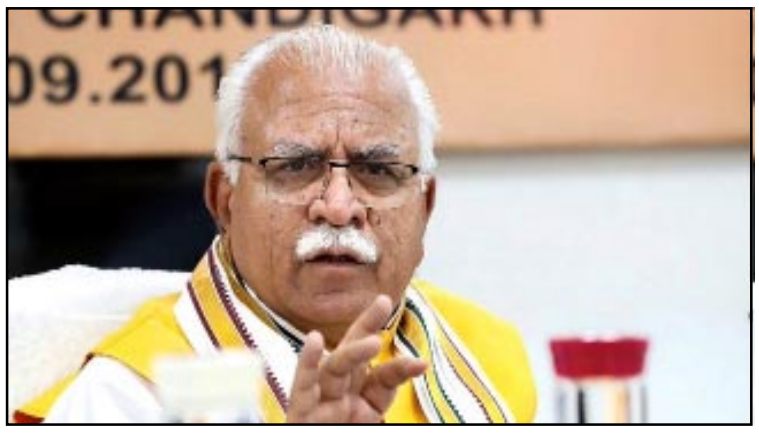

वह इसे ऐसे खुर्द-बुर्द करना चाहती है कि जनता में सरकार की वाहवाही का ढोल तो पिटे ही पिटे साथ में कमीशन आदि से होने वाली कमाई भी ठीक-ठाक हो जाये। फिलहाल इसके लिये 104 एम्बूलेंस गाड़ियां खरीदने की योजना बनाई जा रही है। विशेष प्रकार की इन एम्बुलेंस गाड़ियों में पूरा लाइफ़ स्पोर्ट सिस्टम लगा होगा। इसका मतलब गाड़ी में साजो-सामान के अलावा डॉक्टर व टेक्निशियन भी रहेंगे।

सवाल यह पैदा होता है कि इन गाड़ियों को सम्भालेगा कौन? जिले का सिविल सर्जन सम्भालेगा या ईएसआई वाले सम्भालेंगे या कोई नया महकमा इसके लिये भी खड़ा किया जायेगा? दूसरा सवाल ये गाड़ियां चलेंगी कहां से कहां तक? यानी कि कहां से तो मरीज उठायेंगी और कहां किस अस्पताल में मरीज़ को पटकेंगी? या फिर सारा इलाज इन गाड़ियों में ही हो जाया करेगा? कुछ भी सम्भव है इस सरकार के लिये। जब जनता को कुछ देना ही नहीं और खाली ढोल ही पीटने हैं तो कुछ भी कर सकते हैं।

## अवैध पार्किंग के विरुद्ध पाली पुलिस चौकी पर 'आप' का फीका प्रदर्शन

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** बीते सप्ताह आम आदमी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष धर्मबीर भड़ाना के नेतृत्व में पाली पुलिस चौकी पर प्रदर्शन किया गया। उनकी मुख्य मांग थी कि चौकी के निकट स्थित अवैध पार्किंग को वहां से हटाया जाय। इसके लिये उनके दो तर्क थे। पहला यह कि उक्त जगह पाली गांव की है जिस पर नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे को लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। दूसरे तर्क में भी कहते हैं कि जंगलात की ज़मीन में वृक्ष लगाने की बजाय पार्किंग नहीं बनाई जा सकती।

**धर्मबीर भड़ाना जिस पार्टी के नेता हों उसका भविष्य क्या होगा?**

प्रदर्शन के दौरान अपने भाषण में धर्मबीर यह नहीं बताते कि पार्किंग कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ले-दे कर उनका सारा गुस्सा चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिंह फौगाट पर उतरता है। इस पार्किंग के लिये वे फौगाट को ही उत्तरदायी ठहराते हैं। इस दौरान वे पुलिस अधिकारी को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का रिश्तेदार बताते हुए मामले को जाट बनाम गूजर का रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में वे चौकी इंचार्य के तबादले की मांग भी करते हैं।

इसके जवाब में चौकी इंचार्ज, मौके पर मौजूद पत्रकारों को बताते हैं कि उनकी कोई पावर नहीं है कि वे इस तरह की कोई पार्किंग बना सकें। उक्त पार्किंग डीसी साहब के आदेश पर बनाई गई है। यदि भड़ाना को इससे कोई तकलीफ है तो वे जाकर डीसी से मिलें। चौकी इंचार्ज होने के नाते उसका यह कर्त्तव्य बन जाता है कि डीसी द्वारा घोषित इस पार्किंग में आकर गुंडागर्दी व छीना-झपटी करने वालो के खिलाफ़ उचित कानूनी कार्रवाई करें। अपने इसी कर्त्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने, उन पांच-छः युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर रखा है जो पार्किंग से जबरन गाड़ी छुड़ा कर ले गये थे। इतना ही नहीं चोरी से लाये गये पत्थर व पिसाई के लिये आने वाले लेंटर आदि पर भी उनकी सख्त रोक से भी धर्मबीर भड़ाना परेशान हैं।

मामले की पूरी तहकीकात करने पर **'मज़दूर मोर्चा'** ने पाया कि सड़कों पर वाहनों की चेकिंग के दौरान जब अधिकारी किसी वाहन को कब्जे में लेते हैं तो उसे इस पार्किंग में खड़ा करा देते हैं। यह चेकिंग अधिकतर आरटीए तथा जीएसटी विभाग द्वारा की जाती है। पकड़े जाने वाले वाहनों में प्राय: ट्रक तथा ट्राले आदि ही होते हैं। अदालत अथवा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा केस के निपटारे के बाद वाहन को छोड़ दिये जाने का आदेश जारी होता है। इसके बाद पार्किंग फीस हजार-दो हजार, या इससे अधिक कुछ भी हो सकती है, पार्किंग वाला वसूल कर वाहन को छोड़ देता है।

शेष पेज दो पर